

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(197)एम.ई./ग्रुप-1/2017

जयपुर, दिनांक

30 OCT 2017

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(12)एम.ई./ग्रुप-1/1996 दिनांक 6.4.2017 के द्वारा डॉ० दीपक माहेश्वरी को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा में किया गया था। डॉ० माहेश्वरी को आदेश जारी होने की दिनांक से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करनी थी।


डॉ० दीपक माहेश्वरी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अभिवृद्धि चाही। इस सम्बन्ध में विभाग के आदेश दिनांक 10.05.2017 के द्वारा डॉ० माहेश्वरी के कार्यग्रहण काल में दिनांक 05.10.2017 तक की अभिवृद्धि प्रदान कर सूचित किया गया।

डॉ० दीपक माहेश्वरी के स्वयं के निवेदन पर कार्यग्रहण हेतु कायग्रहण काल में वृद्धि करने के पश्चात भी उनके द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त वस्तुस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि डॉ० दीपक माहेश्वरी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर नियुक्ति प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है।

डॉ० दीपक माहेश्वरी के द्वारा निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः डॉ० दीपक माहेश्वरी के पक्ष में जारी उपरोक्त वर्णित नियुक्ति आदेश दिनांक 6.4.2017 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

  
(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(12)एम.ई./ग्रुप-1/1996 दिनांक 6.4.2017 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
4. डॉ० दीपक माहेश्वरी पुत्र श्री लालचन्द माहेश्वरी, मंगल मार्बल डिपो, रोडवेज बस स्टेण्ड के सामने त० फागी जिला-जयपुर।(रजिस्टर्ड डाक से)।
5. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव